



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय,  
परिवहन मार्ग, चौमूं हाउस सर्किल, जयपुर  
वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2023/711

दिनांक:- 16.02.2023

### कार्यालय आदेश

निगम के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2022/3873 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निगम अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में निगम संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रतीक्षा में, संलग्न परिशिष्ट "1" के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्त संशोधनों के अतिरिक्त निगम अधिकारियों को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2015/9792 दिनांक 26.10.2015 एवं एफ4(13)/वित्त/नियम/09/2022/3873 दिनांक 07.09.2022 द्वारा प्रदत्त शेष वित्तीय शक्तियां यथावत् रहेंगी।

यह आदेश अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न:- परिशिष्ट "1"

(नथमल डिडेल)  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक :- एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/09/2023/711

दिनांक:- 16.02.2023

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
- ✓ 5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. जॉनल मैनेजर, रा.रा.प.प.नि.....जोन।
8. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, .....।
10. रक्षित पत्रावली।

I.F. / 339  
20/02/23

(रामगोपाल पारीक)  
वित्तीय सलाहकार

## निगम अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय शक्तियां

अधिकारी	प्रदत्त वित्तीय शक्तियां
---------	--------------------------

## 1. निगम वाहनों की खरीद

## (i) चैसिस/बसों की खरीद


अध्यक्ष	25 करोड़ रुपये से अधिक (निगम मण्डल द्वारा अनुमोदित बस/चैसिस कय योजना के अनुसार)
प्रबन्ध निदेशक	25 करोड़ रुपये तक (निगम मण्डल द्वारा अनुमोदित बस/चैसिस कय योजना के अनुसार)

## (ii) स्टाफ कार, टैक्सी, ट्रक, जीप एवं अन्य वाहनों का कय

अध्यक्ष	—
प्रबन्ध निदेशक	सम्पूर्ण अधिकार

## (iii) बस बॉडी निर्माण अनुबन्ध

अध्यक्ष	10 करोड़ रुपये से अधिक (बॉडी निर्माण समिति की संस्तुति पर)
प्रबन्ध निदेशक	10 करोड़ रुपये तक (बॉडी निर्माण समिति की संस्तुति पर)

  
 (राम गोपाल पारीक)  
 वित्तीय सलाहकार